रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 1977/पौष 29, 1898
No. 22] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 1977/PAUSA 29, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th January 1977

S.O. 30(E)/15A/IDRA/77—Whereas Messrs Western India Spinning and Manufacturing Company Limited, Bombay, owning an industrial undertaking, is being wound up by the High Court of Bombay and the business of this company is not being continued;

And, Whereas, the Central Government is of the opinion that it is necessary, in the interests of the general public, and in particular, in the interest of production of the articles manufactured in the said industrial undertaking, to investigate into the possibility of running or restarting the aforesaid industrial undertaking,

And, whereas on an application made by the Central Government under section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the High Court of Bombay praying for permission to make an investigation into such possibility, the High Court of Bombay has, by an Order dated the 14th January, 1977, granted the requisite permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints Shri H Nanjundiah, Lalit Apartments, Wodehouse Road Bombay-5, for the purpose of making an investigation into the possibility of restarting the aforesaid industrial undertaking

The above person shall submit his report to the Central Government by the 15th February, 1977

[No F. 3(18)/75-CUC]

A. K. GHOSH, Addl. Secy

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1977

का० आ० 30 (अ)/15क/आई० डी० आर० ए०/77.—मेसर्स वेस्टर्न इंडिया स्पिनिंग मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई, जो एक औद्योगिक उपक्रम की स्वामी है, मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापित की जा रही है और इस कम्पनी का कारोबार जारी नहीं रखा जा रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में तथा विशेष रूप में उक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन के हित में, यह आवश्यक है कि उपरोक्त औद्योगिक उपक्रम को चलाने या पुनः आरम्भ करने की संभावना की जांच की जाए ;

और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय को किये गए आवेदन पर, जिसमे ऐसी संभावना की जांच करने की अनुज्ञा देने की प्रार्थना की गई है, मुम्बई उच्च न्यायालय ने अपने 14 जनवरी, 1977 के आदेश द्वारा वांछित अनुज्ञा प्रदान कर दी है ,

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री एच० नजुंदिया ललित अपार्टमेंट्स, वुड हाउस रोड, मुम्बई—5 को उपरोक्त औद्योगिक उपक्रम को पुनः आरम्भ करने की संभावना की जांच के प्रयोजन के लिए नियुक्त करती है।

श्री एच० नजुंदिया अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 15 फरवरी, 1977 तक प्रस्तुत करेंगे।

[प० फा० 3 (18)/75-सी यू सी]

ए० के० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977